संख्या- 13 /2024/ 81 /002-87-01002-002-1-2023

प्रेषक,

सुनील कुमार चौहान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ : दिनांक 07 मार्च , 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2023-24 में पीएम कुसुम घटक सी-1 निजी ऑनग्रिड पम्पों के सोलराइजेशन हेतु स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4750/यूपीनेडा-एसई-पीएम-कुसुम योजना (घटक सी-1)/2022, दिनांक 04 दिसम्बुर, 2023 एवं पत्र संख्या-5259/यूपीनेडा-एसई-पीएम-कुसुम योजना (घटक सी-1)/2022, दिनांक 11 जनवरी, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत पीएम कुसुम घटक सी-1 निजी ऑनग्रिड पम्पोंक के सोलराइजेशन हेतु मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्यअ (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 50,00,00,000.00 (रूपये पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्यां-619/001-87-01002-002-1-2023, दिनांक 31 मई, 2023 द्वारा प्रथम किश्तु के रूप में धनराशि रू0 12,50,00,000.00 (रूपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र) अवमुक्तन की गई थी।

आपके उक्त0 पत्रों में किये गये प्रस्ताव पर सम्यसक विचारोपरान्त निजी ऑनग्रिड पम्प् के सोलराईजेशन हेतु केन्द्रां श के रूप में भारत सरकार से कम प्राप्ते धनराशि रू0 1,55,92,488.00 (रूपये एक करोड पचपन लाख बानबे हजार चार सौ अटठासी मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत पीएम कुसुम घटक सी-1 निजी ऑनग्रिड पम्पोंन के सोलराइजेशन मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष अवशेष बची धनराशि रू0 37,50,00,000.00 (रूपये सैतीस करोड पचास लाख मात्र) में से रू0 1,55,92,488.00 (रूपये एक करोड पचपन लाख बानबे हजार चार सौ अटठासी मात्र) की वित्तीकय स्वीककृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि ''भविष्यौ में एनएनआरई, भारत सरकार से बैंचमार्क कास्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही स्मजजमत वि प्दजमदज निर्गत करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंचमार्क कास्ट् से अधिक लागत पर सोलराइजेशन का कार्य न कराया जाए।''

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- यूपीनेडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित/व्यय किए जाने से पूर्व प्रश्नगत कार्यक्रम/योजना से सबंधित समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या-619/001-87-01002-002-1-2023, दिनांक 31 मई, 2023 में उल्लिखित शर्तो के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,55,92,488 (रुपये एक करोड़ पचपन लाख बयान्वे हजार चार सौ अट्ठासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810608000501 पीएम कुसुम घटक सी-1 निजी ऑनग्रिड पम्पों के सोलराइजेशन मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-166-x-2023-24-दिनांकः 4-3-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 13 /2024/ 81 /002-87-01002-002-1-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in